न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील : 226/2016

पीठासीन अधिकारी : नरेश कुमार शर्मा,
आई.ए.एस.

चिरंजीलाल पूर्वीया पुत्र कन्हैयालाल जाति पूर्वीया निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा राज0
–अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लवाण जिला दौसा–रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार लवाण
दिनांक 20.07.216

उपस्थितः– 1. श्री चंदशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता सरकार की ओर से

निर्णय दिनांक 05.12.17

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, लवाण ने दिनाक 20.07.2016 को ग्राम लवाण तहसील लवाण के आ0ख0 न0 4435 को 4433 में शामिल कर राजकीय भूमि आम रास्ता पर फैसिंग करने के कारण अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं धारा 91 (6) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत थाना लवाण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पत्रावली पर No instruction अंकित किया गया तत्पश्चात अपीलांट श्री चिरंजी लाल को आवाज लगवाई गई किंतु वे उपस्थित नहीं आये।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अपी0 चिरंजी लाल द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि ख0नं0 4435 पर अतिक्रमण कर ख0नं0 4433 में शामिल करते हुए फैसिंग करली। अपीलांट को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी किया गया और रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट गिरदावर पटवारी दिनांक 02.05.2016 के अनुसार चिरंजीलाल ने आम रास्ता ख0नं0 4435 पर पुनः कब्जा किया जाना बताया गया। उसके बाद माननीय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) दौसा के आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी, दौसा, तहसीलदार, दौसा व तहसीलदार लवाण द्वारा सयुक्त रुप से मौका देखा गया और मौके पर अतिक्रमण पाने पर अतिक्रमण ध्वस्त किया जाकर रास्ता चालू कर दिया गया किंतु उसके बाद भी अपीलांट द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया और आम रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया। जिससे आम जन को परेशानी का सामना करना पडा। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पत्रावली पर No instruction अंकित किया जाने एवं अपीलांट श्री चिरंजी लाल उपस्थित नहीं होने के कारण राजकीय अधिवक्ता की इकतरफा बहस सुनी गई और प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना उचित समझते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया व बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि शंभू सिंह गहलोत निवासी लवाण द्वारा आम रास्ता पर अतिक्रमण की शिकायत तहसीलदार लवाण से करने पर उसकी जॉच करवाई गई जॉच में गै0मु0 आम रास्ता ख0नं0 4435 पर अपी0 चिरंजी लाल का अतिक्रमण होने बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी किया गया और रिपोर्ट ली गई। जिसमें पुनः रिपोर्ट दिनांक 02.05.2016 के अनुसार चिरंजीलाल ने ख0 नं0 ख0नं0 4435 पर अतिक्रमण कर ख0 नं0 4433 में शामिल कर उसे दबाते हुए फैसिंग करने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुए अर्थात आम रास्ता पर पुनः कब्जा किया जाना बताया गया। उसके बाद माननीय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) दौसा के आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी, दौसा, तहसीलदार, दौसा व तहसीलदार लवाण द्वारा सयुक्त रुप से मौका देखा गया और मौके पर अतिक्रमण ध्वस्त किया जाकर रास्ता चालू कर दिया गया किंतु उसके बाद भी अपीलांट द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया और आम रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा मौके पर बाबजूद अतिक्रमण हटाने और पुनः अतिक्रमण करना इस बात का द्योतक है कि वे कानून की भी परवाह नहीं करते है और अतिक्रमण करने के आदि है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे आम जन में कानून का डर हो और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रही। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार द्वारा पूर्ण प्रकिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई है। साथ ही अतिक्रमी को समय देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाना व रास्ता खुलवाने के बावजूद पुनः अतिक्रमण करना अपीलांट का दुस्साहस है, जो किसी भी प्रकर से उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलांट द्वारा अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। मामला जनहित से जुडा होने के पहलू को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट अपने समर्थन में कुछ कहना ही नहीं चाहते है। किंतु फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उक्त अपील का निस्तारण मैरिट पर किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, कानूनी प्रावधानों व न्यायिक दृष्टातों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनाकं 20.07.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 05 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा